30-6-15

कार्यालय नगर पालिका परिषद, देवरिया।

पत्रांक /ज0अनु0–2015–16/देवरिया दिनांक :

अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्व साधारण एवं इससे प्रभावित होने वाले फर्मो/डीलरो को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद देवरिया के जलकल अनुभाग में मिनरल वाटर वाटलिग प्लांट की स्थापना कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमाकर दिनांक 15.07.2015 को कार्यालय दिवस में 10 बजें अपरान्ह 02 बजें तक पालिका कार्यालय व कलेक्ट्रेट कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा दिनांक 16.07.2015 को कलेक्ट्रट स्थिति स्थानीय निकाय पटल पर रखे टेण्डर बाक्स में 10 बजें से 2 बजें तक डाले जा सकते है, जो उसी दिन अपरान्ह 4 बजें अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के समक्ष उपस्थित निविदादाताओ के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ धरोहर धनराशि के रूप मे एन.एस.सी./के.वी.पी./एफ.डी.आर.(राष्ट्रीय कृत बैंक का हो) जो अधिशासी अधिकारी के पदनाम बन्धक हो अथवा फार्म–5 के माध्यम से अधिशासी अधिकारी के नाम नगद जमा करते हुए उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य है। जमानत धनराशि की प्रपत्रों की छायाप्रति मान्य नहीं होगी। उक्त निविदा सूचना को देवरिया के चालू बेवसाइट WWW.Deoria.nic.in व नगर पालिका के चालू बेवसाइड WWW.Municipaldeoria.in पर देखे जा सकते है।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	आगणन धनराशि	जमानत धनराशि	निविदा धनराशि	कार्यावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	मिनरल वाटर वाटलिग प्लांट की स्थापना कार्य।	1 अदद	52,15,200.00	5,21,520=00	5250=00	एक माह

नियम व शर्तेः–

1– निविदा पर निविदादाता के स्पष्ट एवं पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए। स्पष्ट हस्ताक्षर न होने की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

2– निविदादाता को निविदा की दरे स्पष्ट रूप से शब्दों व अंको में निर्धारित स्थान पर साफ–साफ अंकित करनी होगी।

3– आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा आपूर्ति आदेश में दी जायेगी तथा स्वीकृत दर पर न्यूनतम निविदादाताओं को आपूर्ति दो सप्ताह के अन्दर करनी होगी।

4– डाक द्वारा प्राप्त केवल उन्हीं निविदाओं पर विचार किया जायेगा, जो नियत अवधि के अन्दर प्राप्त होगी।

5– कम्पनी/फर्म द्वारा आपूर्ति किये गये विद्युत सामग्रियों में यदि कम्पनी द्वारा निर्धारित गारन्टी अवधि में किसी प्रकार की कोई खराबी या कमी पाये जाने की दशा में उक्त सामग्री को बदलना अनिवार्य होगा।

6– समस्त निविदादाता को कम्पनी द्वारा निर्गत रेट लिस्ट एवं कैटलाक दर के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

7– मेक, माडल, कम्पनी का स्पष्ट नाम आदि का उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा।

8– समस्त सामग्री आई.एस.आई/आईएसओ मानक के अनुसार होनी चाहिए।

9– किसी या सभी निविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिका परिषद देवरिया के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में नगर पालिका परिषद देवरिया का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

10– जमानत से सम्बन्धित कोई भी प्रपत्र गलत पाये जाने की दशा में फर्म/कम्पनी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही हेतु समक्ष अधिकारी नगर पालिका देवरिया द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

11– उत्तर प्रदेश व्यापार/आयर विभाग से पंजीकृत फर्मो को ही निविदा खरीदने व डालने का अधिकार होगा।

12– किसी भी विवाद की दशा में मुकदमा स्थानीय न्यायालय देवरिया में होगा।

13– टेण्डर प्रपत्र सम्बन्धित सामग्री के मूल निर्माताओं अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत के उपरान्त ही निर्गत किये जायेगे

(सर्वजीत सिंह)
सहायक अभियन्ता (जल)
नगर पालिका परिषद, देवरिया। 29/6/15

(राधेश्याम कुशवाहा)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,देवरिया

(अलका सिंह)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद देवरिया।

पत्रांक 383 /दिनांक तदैव, 29/6/15

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दी दैनिक........................ को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना को मु0........................ में प्रकाशित अपने समाचार पत्र में करते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

2– अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी, देवरिया।

3– एन.आई.सी. प्रभारी, कलेक्ट्रेट देवरिया को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना को एन.आई.सी. के बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु।

4– श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, कम्प्यूटर आपरेटर, न0 पा0 दे0 को इस आशय से पालिका के बेवसाइट पर लोड करने हेतु।

5– नोटिस बोर्ड, नगर पालिका, जिला पंचायत, कलेक्ट्रेट, तहसील, विकास भवन पर चस्पा हेतु।

(राधेश्याम कुशवाहा)
अधिशासी अधिकारी